कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/02/2025

योगेश उपाध्याय निवासी कर्नल गणेशी लाल की हवेली मोहल्ला गोपालगढ़, भरतपुर जिला भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्डाधिकारी भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 13.02.2025

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट योगेश उपाध्याय निवासी कर्नल गणेशी लाल की हवेली मोहल्ला गोपालगढ़, भरतपुर जिला भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्डाधिकारी भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/25/99 दिनांक 31.01.2025 से लोक सूचना अधिकारी से अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर से पत्रांक आरटीआई/2025/104 दिनांक 12.02.2025 से जबाब/सूचना प्राप्त हुई, जो शामिल मिसिल की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाव में अंकित किया है कि ''..........सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

आरटीआई / अपील / 2025 / 02
योगेश उपाध्याय बनाम लो.सू.अधि. उपखण्डाधिकारी भरतपुर

प्रश्नगत उक्त मूल आवेदन पत्र एवं पोस्टल आर्डर संख्या 61 एफ 973151 इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। मूल अपील के साथ सूचना हेतु प्राप्त आवेदन अनुसार इस कार्यालय के पत्रांक 103 दिनांक 12.02.2025 से सूचना प्रेषित कर दी गई है।......''

उक्तानुसार लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाव के अवलोकन से जाहिर आया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्डाधिकारी भरतपुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपील के साथ प्रस्तुत आवेदन पत्र अनुसार चाही गई सूचना प्रार्थी/अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई है। लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं होने के कारण अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्डाधिकारी भरतपुर को प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर